न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/62/2018	11-05-2018	25-09-2019

01– प्रहलाद पुत्र अर्जुन मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम नंगली मेघा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

–अपीलांट

बनाम

01– तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 28.02.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 83/2017

उपस्थितः–

01–श्री उमेश चंद कौशिक

–वकील अपीलाण्ट

–ःनिर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 28.02.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम नंगली मेघा की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 446/1.40 है0 में से 0.40 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नंगली मेघा की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 446/1.40 है0 में से 0.40 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 31.01.2017 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह के सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 28.02.2017 के विरूद्ध दिनांक 11.05.2018 को पेश किया। जो करीब 1 वर्ष 3 माह के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का परीक्षण किया गया। पटवारी हल्का के बयान छपे–छपाये साईक्लोस्टाईल प्रोफॉर्मा में लिये गये है एवं अपीलार्थी को नोटिस भी छपे–छपाये साईक्लोस्टाईल प्रोफॉर्मा पर जारी किये गये है। जिससे यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार रामगढ द्वारा आदेश जारी करते समय विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट तहसीलदार रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषिम की जाती है कि अपीलार्थी का सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25–09–2019 को अद्योहस्ताक्षरर्ता लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)